न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या / 10 / 2012

उनवान

1. मै.0 कृष्णा कॉटन जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग फैक्ट्री , भीलवाडा जरिये अशोक कोठारी, निवासी भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. रामेश्वर लाल पुत्र बालाबक्ष अग्रवाल
3. शंकर लाल पुत्र केदारमल अग्रवाल समस्त निवासी भीलवाडा जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र (रिव्यू एप्लीकेशन)

अभिभाषक : 1. श्री गणेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.12.2019

प्रकरण के संक्षेप मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 / सरकर की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी, ने रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 1.2.2011 को प्रकरण को निर्णित किया है। उक्त निर्णित अपील में न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय के पेरा संख्या 9 में अधिसूचना एफ–11(1)रेवे–6 / 2002 / 50 दिनांक 13.8.2002 का दृष्टान्त देते हुए निस्तारण की गई थी। जिसकी पालना हेतु उच्च अधिकारियों को पत्रावली प्रेषित की गई जहॉ से उक्त अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा अपनी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाडा

अधिसूचना कमांक 11(1) राज06/04/पार्ट/60 दिनांक 11.12.07 से अतिष्ठित (Superseeded) की जा चुकी है। जिससे पूर्व की अधिसूचना निष्प्रभावी हो चुकी है। न्यायालय हाजा द्वारा जिस अधिसूचना पर निर्णय प्रदान किया गया है जिसके आधार पर निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है जिससे पारित निर्णय का पुनरावलोकन कर निर्णय प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

2. पुनरावलोकन किये जाने पर किये गये निर्णय से पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा व न्यायालय हाजा के पारित निर्णय की पालना किया जाना संभव हो सकेगा। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने उच्च अधिकारियां से दिशा निर्देश हेतु पत्रावली को उप शासन सचिव , राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान जयपुर को जरिये पत्र कमांक एफ–12–3(स)(27)आरए/95/4885 दिनांक 25.8.2011 से प्रेषित की गई। जिस पर उप शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.8.2012 को दिशा निर्देश प्रदान किये जिससे उक्त नवीन अधिसूचना के प्रभाव का ज्ञान हुआ है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का पुनः निस्तारण किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने उच्च

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधिकारियों से दिशा निर्देश हेतु पत्रावली को उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान जयपुर को जरिये पत्रांक एफ–12–3/(स) (27) /आरए/95/4835 दिनांक 25.8.2011 से प्रेषित की गई जिस पर उप शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.8.2012 को दिशा निर्देश प्रदान किये गये जिससे उक्त नवीन अधिसूचना के प्रभाव का ज्ञान हुआ है। अतः जानकारी होते ही रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निर्णय पारित किये जाने से नवीन अधिसूचना की जानकारी के मध्य की अवधि को कण्डोन किया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जावे।

5. प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त अनवान की अपील माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1.2.2011 को निर्णित कर दी गई है। निर्णित अपील में न्यायायल श्रीमान् द्वारा निर्णय के पेरा नम्बर 9 में अधिसूचना एफ–11(1) रेवे/–6/2002/50 दिनांक 13.8.2002 का दृष्टान्त देते हुए अपील को निर्णित किया गया है। जिसकी पालना हेतु उच्च अधिकारियों को पत्रावली प्रेशित की गई जहॉ से उक्त अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा अपनी नवीन अधिसूचना कमांक 11 (1) राज06/04/पार्ट/60 दिनांक 11.12.2007 से अतिष्ठित (Superseeded) की जा चुकी है, जिससे पूर्व की अधिसूचना निष्प्रभावी हो चूकी है। इसके साथ ही विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी बहस के दौरान स्वीकार किया कि दिनांक 11.12.2007 का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है परन्तु राज्य सरकार द्वारा भूमि का नियमितिकरण मैसर्स कृष्णा कॉटन जिनिंग को कीमतन देने हेतु किया गया है, जिसकी कीमत नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1 रकबा 3 बीघा भूमि जो कि सडक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

मार्गाधिकार में जाने वाली भूमि के बाद शेष बची हुई भूमि 7975.88 वर्ग गज भूमि की नियमानुसार राशि 17490528/–रूपये का मांग पत्र जारी किया गया है। जिस पर उक्त राशि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा जमा कराई जा चुकी है । जिसके आधार पर लीज डीड भी दिनांक 6.2.2014 को जारी की जा चुकी है। नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री भी अपीलार्थी/विपक्षी के पक्ष करा दिये जाने से वर्तमान में वादग्रस्त भूमि 2742/1 की किस्म बिलानाम नहीं होकर आवासीय है।

6. अधिवक्ता विपक्षी/अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1 क रकबा 3 बीघा भूमि के बाबत नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एक्पावर्ड समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 1.10.2013 में (संयोजक) मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, (सदस्य) मंत्री उद्योग विभाग, एवं (सदस्य) राज्य मंत्री यातायात एवं गृह विभाग द्वारा प्रकरण में बाद विचार विमर्श कर प्रकरण को विभागीय आवंटन नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण कर आवंटन के संबंध में निर्णय लेने हेतु माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया ।

7. उक्त निर्णय की पालना में राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प 3(248)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा नगर विकास न्यास, भीलवाडा को राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1 क रकबा 3 बीघा भूमि के बाबत राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित दर अथवा कृषि भूमि डी एल सी दर जो भी अधिक हो पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. उक्त स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा अपने पत्रांक 20589 दिनांक 4.10. 2013 द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी श्री कृष्णा कॉटन एण्ड जीनिंग प्रेसिंग फेक्ट्री, पार्टन अशोक कोठारी भीलवाडा को निर्देषित किया गया कि राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1 क रकबा 3 बीघा भूमि के आवंटन एवं नियमन बाबत मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है इसलिए अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है । अतः उस केस विड्रा करके अवगत करावे ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस प्रकार के निर्देश प्राप्त होने पर अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से एस बी सिविल रिट पीटिशन नम्बर 9829/2012 को विड्रा किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.12.2013 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिट पीटिशन को खारिज किया गया। जिसकी प्रति नगर विकास न्यास भीलवाडा को दिये जाने पर नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1 रकबा 3 बीघा भूमि जो कि सडक मार्गाधिकार में जाने वाली भूमि के बाद शेश बची हुई भूमि 7975.88 वर्ग गज भूमि की नियमानुसार राशि 174,90,528/–रूपये के मांग पत्र पर उक्त राशि जमा कराई जा चुकी है । जिसके आधार पर लीज डीड भी दिनांक 6.2.2014 को जारी की जा चुकी है। नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री भी अपीलार्थी/विपक्षी के पक्ष में करा दी गई है।

9. चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। इसलिए माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार भी प्राप्त

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नहीं है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहॉ रामेश्वर लाल पुत्र बालाबक्ष अग्रवाल निवासी भीलवाडा ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीलवाडा की आराजी नम्बर 2737 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 2738 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2379 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2742 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल किता 4 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं श्री शंकर लाल पुत्र श्री केदारमल अग्रवाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से मै0 कृष्णा कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री भीलवाडा के उपयोग में आ रही थी किन्तु उद्योग बन्द हो जाने से औद्योगिक भूमि आवंटन नियम 1959 के नियम 13 के तहत कृषि भूमि प्रार्थी एवं श्री शंकर लाल पुत्र श्री केदारमल अग्रवाल के नाम दर्ज कराई जाये। जिला कलक्टर, भीलवाडा ने बाद विचारण निर्णय दिनांक 26.8.97 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के नियम 13 में निहित प्रावधानों के तहत मौजा भीलवाडा की हाल आराजी नम्बर 2737 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 2738 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 2379 रकबा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2742 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि को सर्व श्री रामेश्वर लाल पुत्र बालाबक्ष अग्रवाल एवं श्री शंकर लाल पुत्र श्री केदारमल अग्रवाल निवासी भीलवाडा के नाम बतौर खातेदार कृषि भूमि के रूप में रिवर्ट बैक कर दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गई। साथ ही आराजी नम्बर 2742 का अवशेश रकबा (पश्चिम दिशा में) बिलानाम सरकार यथावत रहेगा। औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के फलस्वरूप जमा कराई गई राशि (लीज रेण्ट, विकास शुल्क आदि) पुनः देय नहीं होगा।

11. आराजी नम्बर 2742 के पश्चिम दिशा में आराजी पर स्थित पक्का निर्माण खातेदारान स्वयं के खर्चे पर एक माह की अवधि में हटायेंगे तथा रिवर्ट बैक होने वाली भूमि से भी स्वयं के खर्चे पर निर्माण आदि हटा भूमि को पुनः काबिला काश्त (कृषि योग्य) बनायेंगे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, भीलवाडा उक्त खातेदारान को कब्जा सौंपेंगे व बिलानाम भूमि को अपने पास यथावत रखेंगे।

12. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी मै0 कृष्णा कॉटन जिनिंग एण्ड प्रोसिंग फैक्ट्री भीलवाडा जरिये पार्टनर अशोक कोठारी निवासी भीलवाडा द्वारा न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो अपील नम्बर 156/01 दर्ज की जाकर बाद विचारण निर्णय दिनांक 19.9.2003 द्वारा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के पृष्ठ संख्या 3 के अंतिम पैराग्राफ यथा " आराजी नम्बर 2742 के पश्चिम दिशा में आराजी पर स्थित पक्का निर्माण खातेदारान स्वयं के खर्चे पर एक माह की अवधि में हटायेंगे तथा रिवर्ट बैक होने वाली भूमि से भी स्वयं के खर्चे पर निर्माण आदि हटा भूमि को पुनः काबिल काश्त (कृषि योग्य) बनायेंगे ।" को निरस्त किया गया तथा पत्रावली जिला कलक्टर, भीलवाडा को इस निर्देश के साथ पुनः लौटाई गई कि यदि अपीलार्थी/अप्रार्थी निर्णय पारित होने की तिथि से एक माह के अन्दर–अन्दर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

करता है तो उसकी समग्र रूप से जांच करके उपरोक्त राज्यादेश एवं परिपत्रों के अनुसरण में दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करके उक्त निर्माण एवं भूमि को अपीलार्थी/अप्रार्थी के पक्ष में नियमित करने का प्रस्ताव सक्षम कार्यालय नगर विकास न्यास /नगर परिषद को भिजवाने की व्यवस्था करे।

13. न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.3.2003 की अपील राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जिस पर अपील /एलआर/5430/2005/ भीलवाडा (2005/5430) दर्ज की गई एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 19.5.2006 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के अपीलाधीन निर्णय को उचित मानते हुए अपील अपीलार्थी एडमिशन स्टेज पर ही खारिज की गई एवं आदेंशित किया गया कि प्रत्यर्थीगण यदि जिला कलेक्टर के समक्ष उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उसकी समग्र रूप से जांच करके राज्यादेश एवं परिपत्रों के अनुसरण में दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करके उक्त निर्माण एवं भूमि को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नियमित करने का प्रस्ताव सक्षम कार्यालय नगर विकास न्यास/नगर परिषद को भिजवाने की व्यवस्था करें।

14. माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 19.5.2006 की पालना में जिला कलक्टर,भीलवाडा द्वारा प्रकरण में बाद विचारण पत्रांक एफ 12–3 (स) (27)/राजस्व/95/3062 दिनांक 17.8.2010 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी इकाई कृष्णा कॉटन जिनिंग एवं प्रोसेसिंग फैक्ट्री की ओर से भू उपयोग परिवर्तन कर भूमि आवंटित करने के प्रार्थना पत्र

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 16.10.2003, 17.10.2003, 28.5.2005, 30.6.2006 एवं 8.7.2009 को अस्वीकार किये गये। उक्त आदेश की अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई । न्यायालय हाजा में अपील संख्या 127/2010/75 एल आर दर्ज की गई। बाद विचारण निर्णय दिनांक 1.2.2011 द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.8.2010 को निरस्त करते हुए इस सीमा तक संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा को निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्णयों की पालना में अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम भीलवाडा की विवादित भूमि खसरा नम्बर 2742/1 क रकबा 3 बीघा को राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–11(1)रेवे–8/2002/50 दिनांक 13.8.2002 के अनुसरण में रूपान्तरण/नियमन की कार्यवाही करने हेतु अपीलाण्ट का अभ्यावेदन स्थानीय प्राधिकारी (नगर विकास न्यास/नगर परिषद) को अग्रेषित किया जावे तथा वांछित शुल्क देय हो वह वसूल किया जावे।

उक्त निर्णय के उपरान्त प्रत्यर्थी/राज्य सरकार की ओर से पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया गया कि न्यायालय हाजा के निर्णय के पेरा संख्या 9 में अधिसूचना एफ–11(1)रेवे–8/2002/50 दिनांक 13.8.2002 का दृष्टान्त देते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया था । जिसकी पालना हेतु उच्च अधिकारियों का पत्रावली प्रेषित की गई जहॉ से उक्त अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा अपनी नवीन अधिसूचना कमांक 11 (1) राज0 6/04/पार्ट/60 दिनांक 11.12.07 से अतिष्ठित (Superseeded) की जा चूकी है जिससे पूर्व की अधिसूचना निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है अतः न्यायालय हाजा द्वारा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी,

पारित निर्णय का पुनरावलोकन कर निर्णय प्रदान किया जाना आवश्यक है।

16. वादग्रस्त आराजी बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में स्थगन आदेश आदेश जारी किया गया था। उक्त प्रकरण को राज्य सरकार की इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा गया जिसमें दिनांक 1.10.2013 को ग्यारहवीं बैठक की गई एवं उस बैठक में राजस्व ग्राम भीलवाडा की बिलानाम आराजी नम्बर 2742/1 क रकबा 3 बीघा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अन्तर्गत आवंटन एवं नियमन बाबत स्वीकृति प्रदान की गई । जिसकी पालना में कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा अपीलार्थी श्री कृष्णा कॉटन एण्ड जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री पार्टन अशोक कोठारी, भीलवाडा को निर्देशित किया गया कि "उक्त भूमि के संबंध में द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है । अतः आप केस विड्रा कर अवगत करावें ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। जिस पर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में दर्ज एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 9821/2012 को विड्रा किया गया । जिस पर प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2013 को अपीलार्थी द्वारा विड्रा किये जाने की स्थिति में डिसमिस्ड किया । उक्त निर्णय की प्रति अपीलार्थी द्वारा कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा को दिये जाने के उपरान्त राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प 3 (248)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 4 अक्टूबर 2013 को सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाडा का राजस्व ग्राम भीलवाडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2742/1क रकबा 3 बीघा के नियमन के संबंध में मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 1.10.2013 में प्रस्तुत एजेण्डा

(कैलास चन्द्र लखारा),
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आईटम नम्बर–16 मे लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम भीलवाडा की आराजी नम्बर 2742/1 रकबा 3 बीघा भूमि को राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित दर अथवा कृषि भूमि डी एल सी दर सजो भी अधिक हो पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

17. उपरोक्त राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प 3 (248)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के आदेश की पालना में वादग्रस्त राजस्व ग्राम भीलवाडा आराजी नम्बर 2742/1 रकबा 3 बीघा भूमि में से मार्गाधिकार में जाने वाली भूमि के बाद शेष बची हुई भूमि 7975.88 वर्गगज भूमि की नियमानुसार राशि 17490528/–रूपये जमा कराये जाने हेतु नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित किया गया । जिस पर अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि नगर विकास न्यास, भीलवाडा में जमा कराई गई जिस पर नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2013 में अपीलार्थी प्रार्थी को क्रमांक/नियमन/12/23082 दिनांक 6.2.2014 द्वारा पट्टा विलेख जारी किया गया । जिसका पंजीयन दिनांक 18.2.2014 को उप पंजीयक, भीलवाडा के पंजीयन कराया गया है।

18. चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म बिलानाम नहीं रहकर वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का पट्टा विलेख नगर विकास, न्यास भीलवाडा द्वारा नियमानुसार नियमन राशि प्राप्त कर जारी किया जा चुका है । जिसका पंजीयन भी किया जा चुका है। जो पत्रावली में संलग्न है। वर्तमान में भूमि की किस्म भी परिवर्तित हो चुकी है। उपरोक्त प्रक्रिया राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प 3 (248)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्[illegible]

आदेश की पालना में की गई है। ऐसी स्थिति में अब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र (रिव्यू एप्लीकेशन) पर विचारण किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है।

19. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र (रिव्यू एप्लीकेशन) अस्वीकार किया जाता है।

20. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा